भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2209
12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत प्रस्तावों की स्थिति

†2209. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए गए, अनुमोदित और कार्यान्वित किए गए प्रस्तावों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) डीएवाई-एनयूएलएम के प्रत्येक घटक के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त मिशन के कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, शहरी बेघरों के लिए आश्रय और पथ विक्रेताओं के सहायता घटकों के अंतर्गत शामिल किए गए शहरी गरीब लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(घ) डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए निर्मित अथवा उन्नत किए गए आश्रयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है और क्षमता, औसत अधिभोग स्तर और प्रदान की गई प्रमुख सुविधाएं क्या हैं; और
(ङ) लंबित प्रस्तावों की सूची क्या है और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और उनके अनुमोदन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए**)** ने शहरी गरीबों की आर्थिक**,** सामाजिक और आवासीय कमजोरियों को कम करने के लिए सात घटकों के साथ "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई**-**एनयूएलएम)" को क्रियान्वित किया। यह मिशन 30.09.2024 को समाप्त हो गया था। इस मिशन के तहत 30.09.2024 तक 1 करोड़ से अधिक शहरी गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों

(एसएचजी) में शामिल किया गया, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से 39.43 लाख से अधिक आजीविकाएं सृजित की गईं सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तियों और समूहों को सब्सिडी ऋण उपलब्ध कराया गया और एसएचजी को बचत कोष आधारित बैंक लिंक प्रदान किए गए। 6.56 लाख से अधिक एसएचजी को बैंक लिंक प्राप्त हुए और मिशन के नवाचार एवं विशेष परियोजना (आईएंडएसपी) घटक के तहत कुल चार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया ।

(ख): डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत, मिशन के सभी घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समेकित रूप से निधि जारी की गई थी। मिशन के विभिन्न घटकों के बीच निधि का आवंटन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग): मिशन के कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, शहरी बेघरों के लिए आश्रयों की स्थिति और पथ विक्रेताओं के सहायता घटक के अंतर्गत आने वाले शहरी गरीब लाभार्थियों की संख्या के संबंध में राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि एवं कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। हालांकि, शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना का संचालन करते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता की। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित स्थायी आश्रय उपलब्ध कराना था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30.09.2024 तक कुल 1,995 आश्रय स्थल बनाए गए थे, जिनकी क्षमता 1.41 लाख बिस्तरों की थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-II में दी गई है। आश्रय स्थलों में रहने वाले या आश्रय लाभ प्राप्त करने वाले निवासियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। मंत्रालय द्वारा औसत संख्या का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। आश्रय स्थलों में गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए जल, स्वच्छता, बिजली, रसोई/खाना पकाने का स्थान, सामान्य मनोरंजन स्थान जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं, जैसा कि एसयूएच दिशानिर्देशों में निर्धारित है। यह मिशन 30.09.2024 को समाप्त हुआ।

******

'डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत प्रस्तावों की स्थिति' के संबंध में दिनाँक 12.02.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न संख्या 2209 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I,

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 2014-15 से 2024-25 तक जारी एवं उपयोग की गई निधि की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	40.34	40.34	15.00	15.00	56.30	56.30	36.31	36.31	30.20	30.20
2	अरुणाचल प्रदेश	1.94	1.94	1.46	1.46	1.43	1.43	6.22	6.22	3.66	3.66
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	25.73	25.73	22.38	22.38	0.00	0.00	42.52	42.52
5	छत्तीसगढ	14.88	14.88	17.79	17.79	13.46	13.46	34.56	34.56	21.15	21.15
6	गोवा	0.62	0.62	0.00	0.00	0.23	0.23	2.08	2.08	4.85	4.85
7	गुजरात	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.94	30.94
8	हरियाणा	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	6.04	6.04	2.50	2.50	3.56	3.56	8.05	8.05	1.69	1.69
10	जम्मू और कश्मीर	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	3.23	3.23
11	झारखंड	10.13	10.13	14.61	14.61	15.36	15.36	44.89	44.89	11.24	11.24
12	कर्नाटक	63.47	63.47	9.90	9.90	0.00	0.00	23.08	23.08	0.00	0.00
13	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19	25.19	18.60	18.60
14	मध्यप्रदेश	51.58	51.58	5.00	5.00	28.80	28.80	41.75	41.75	21.60	21.60
15	महाराष्ट्र	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16	मणिपुर	8.37	8.37	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	8.52	8.52	10.32	10.32	20.93	20.93	12.73	12.73	6.82	6.82
19	नागालैंड	5.32	5.32	0.00	0.00	8.45	8.45	10.87	10.87	3.43	3.43
20	ओडिशा	18.08	18.08	13.22	13.22	6.56	6.56	17.05	17.05	16.24	16.24
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	10.07	0.00	0.00
22	राजस्थान	42.01	42.01	0.00	0.00	7.92	7.92	28.51	28.51	31.10	31.10
23	सिक्किम	1.52	1.52	0.85	0.85	0.97	0.97	2.31	2.31	1.12	1.12
24	तमिलनाडु	64.40	64.40	57.86	57.86	58.45	58.45	78.85	78.85	68.53	68.53
25	तेलंगाना	0.00	0.00	39.88	39.88	4.70	4.70	32.49	32.49	15.56	15.56
26	त्रिपुरा	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	8.93	6.33	6.33
27	उत्तर प्रदेश	46.55	46.55	17.42	17.42	22.66	22.66	71.95	71.95	53.38	53.38
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	5.08	5.08	5.38	5.38	8.00	8.00	7.75	7.75
29	पश्चिम बंगाल	53.73	53.73	0.00	0.00	8.31	8.31	32.96	32.96	35.94	35.94
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	2.82	2.82	0.00	0.00	0.93	0.93	1.99	1.99	1.82	1.82
32	दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.79	2.97	2.97	1.97	1.97
35	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**672.13**	**672.13**	**239.73**	**239.73**	**290.63**	**290.30**	**556.70**	**556.70**	**439.84**	**439.67**

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 2014-15 से 2024-25 तक जारी एवं उपयोग की गई निधि की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	98.45	98.45	58.23	58.23	60.50	60.50	37.63	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	6.59	6.59	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	7.47	0.00	0.00
3	असम	14.86	14.86	21.92	21.92	32.91	32.91	20.16	20.16	16.62	16.62	0.00	0.00
4	बिहार	31.08	31.08	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	17.02	17.02	0.00	0.00	14.71	14.71	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
6	गोवा	3.40	3.40	3.90	3.90	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	14.08	14.08	71.58	71.58	49.67	49.67	32.66	32.66	40.79	40.79	6.25	4.75
8	हरियाणा	29.63	29.63	10.54	10.54	14.22	14.22	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	6.81	6.81	10.21	10.21	10.20	10.20	6.00	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00
10	जम्मू और कश्मीर	11.56	11.56	3.67	3.67	6.25	6.25	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	16.28	16.28	16.28	16.28	18.37	18.37	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	16.46	16.46	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	26.25	0.00	0.00
13	केरल	24.09	24.09	27.90	27.90	35.38	35.38	29.23	29.23	15.00	15.00	5.00	5.00
14	मध्य प्रदेश	48.80	48.80	55.09	55.09	63.36	63.36	100.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	96.15	96.15	64.37	64.37	62.33	62.33	90.09	90.09	0.00	0.00
16	मणिपुर	3.65	3.65	2.98	2.98	10.08	10.08	25.00	25.00	5.35	5.35	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	1.29	1.29	2.80	2.80	0.00	0.00
18	मिजोरम	5.82	5.82	16.17	16.17	14.98	14.98	10.00	10.00	3.99	3.99	0.00	0.00
19	नागालैंड	4.06	4.06	6.96	6.96	4.92	4.92	1.83	1.83	7.38	7.38	0.00	0.00
20	ओडिशा	14.32	14.32	20.07	20.07	13.43	13.43	0.00	0.00	8.44	8.44	0.00	0.00

21	पंजाब	16.17	16.17	0.00	0.00	19.36	19.36	68.49	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	38.11	38.11	39.31	39.31	40.53	40.53	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	2.44	2.44	1.10	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	81.36	81.36	110.65	110.65	104.67	104.67	6.00	6.00	85.00	85.00	0.00	0.00
25	तेलंगाना	42.13	42.13	38.10	38.10	31.69	31.69	100.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	7.88	7.88	13.48	13.48	14.17	14.17	2.00	2.00	10.86	10.86	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	98.56	98.56	65.34	65.34	62.65	62.65	0.00	0.00	33.98	33.98	8.75	8.75
28	उत्तराखंड	7.32	7.32	6.05	6.05	2.00	2.00	8.60	8.60	0.00	0.00	2.50	1.97
29	पश्चिम बंगाल	25.79	25.79	34.30	34.30	43.39	43.39	0.00	0.00	45.42	45.42	5.00	5.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	3.08	3.08	1.82	1.82	1.86	1.86	2.54	2.54	3.55	3.55	0.50	0.50
32	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	2.97	2.97	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	5.11	0.00	0.00
35	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**692.77**	**692.77**	**812.12**	**811.56**	**739.47**	**738.02**	**540.04**	**512.74**	**496.44**	**470.10**	**29.00**	**26.97**

दिनाँक 12.02.2026 के लोक सभा प्रश्न संख्या 2209 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित अनुलग्नक-II

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत राज्य-वार भौतिक प्रगति (01.04.2014 से 30.09.2024 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	एसईपी के तहत व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए ऋणों की संख्या	डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत निर्मित आश्रयों की संख्या	बेघरों के लिए बनाए गए बिस्तरों/रहने की क्षमता की संख्या (गैर-एनयूएलएम आश्रय सहित)	जारी किए गए बिक्री प्रमाणपत्रों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	143	7	1	0	60	676
2	आंध्र प्रदेश	82,546	1,07,097	1,20,451	95	6,510	4,66,028
3	अरुणाचल प्रदेश	4,475	76	17	0	0	1,285
4	असम	34,905	6,520	8,197	6	1,120	92,427
5	बिहार	37,346	13,769	15,993	111	4,069	1,60,095
6	चंडीगढ़	7,207	410	0	1	239	10,930
7	छत्तीसगढ	41,778	49,323	15,086	47	2,221	9,851
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	1,853
9	गोवा	6,605	264	23	3	138	62,333
10	गुजरात	1,07,003	30,324	17,878	78	12,825	2,688
11	हरियाणा	34,136	8,008	1,254	54	2,987	2,09,885
12	हिमाचल प्रदेश	7,102	4,022	1,748	20	901	95,306
13	जम्मू और कश्मीर	5,264	16,383	275	2	100	6,035
14	झारखंड	1,10,619	12,767	7,651	57	1,618	23,695

15	कर्नाटक	22,315	26,592	10,361	108	4,053	50,278
16	केरल	22,356	14,492	22,836	27	11,791	2,02,531
17	लद्दाख	0	22	0	0	0	6,912
18	मध्य प्रदेश	2,60,640	92,624	25,909	118	4,301	427
19	महाराष्ट्र	2,01,108	62,485	82,833	99	5,638	7,31,732
20	मणिपुर	10,734	136	123	0	0	29,991
21	मेघालय	2,600	137	4	4	95	13,952
22	मिजोरम	10,733	2,471	278	96	5,243	253
23	नागालैंड	582	382	0	3	90	3,214
24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,921	1,213	6	193	17,035	5,569
25	ओडिशा	17,026	45,950	22,319	46	2,292	24,818
26	पुदुचेरी	3,194	612	658	2	200	2,445
27	पंजाब	74,344	12,149	270	30	4,637	1,76,932
28	राजस्थान	51,638	32,943	4,873	237	11,070	28,356
29	सिक्किम	3,294	35	0	0	95	351
30	तमिलनाडु	50,654	3,09,247	1,70,473	276	19,398	1,26,052
31	तेलंगाना	24,484	15,623	43,420	45	5,567	3,59,865
32	त्रिपुरा	2,146	2,034	5,314	9	450	8,656
33	उत्तर प्रदेश	2,19,757	90,188	16,731	145	10,865	9,49,429
34	उत्तराखंड	20,432	9,173	851	13	1,311	21,981
35	पश्चिम बंगाल	63,865	14,421	46,374	70	4,147	292
कुल		**15,42,952**	**9,81,899**	**6,42,207**	**1,995**	**1,41,066**	**38,87,123**